भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3339

उत्तर देने की तारीख 12.03.2026

जनजातीय कार्य मंत्रालय में रिक्त पद

† 3339. श्री कालिपद सरेन खेरवाल:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनजातीय कार्य मंत्रालय में स्वीकृत पदों, कार्यरत व्यक्तियों और सभी श्रेणियों हेतु आरक्षित पदों सहित रिक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 2014 से अब तक मंत्रालय में आरक्षित पदों सहित रिक्तियों की वर्ष-वार और श्रेणी-वार संख्या कितनी है; और

(ग) वर्ष 2014 से अब तक भर्ती किए गए संविदा कर्मचारियों की वर्ष-वार और श्रेणी-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख): कुछ अपने कैडर पदों के अलावा जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) में मुख्यत: अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सचिवालय सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा भारतीय सांख्यिकी सेवा, केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, अन्य संगठित सेवाओं और सामान्य सिविल सेवाओं से संबंधित अधिकारी शामिल हैं। इन सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा भारत सरकार के आरक्षण मानदंडों/दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए की जाती है। वर्तमान में, मंत्रालय में ऐसे 121 पदों की स्वीकृत संख्या की तुलना में 100 पद भरे हुए हैं। अपने कैडर के 33 पदों जैसे संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, अनुसंधान अधिकारी, विधि सहायक, वरिष्ठ अन्वेषक, लेखाकार, कनिष्ठ कलाकार, स्टाफ कार चालक और बहु कार्य कार्मिक् (मल्टी-टास्किंग स्टाफ) के मामले में, जनजातीय कार्य मंत्रालय उनके भर्ती नियमों और भारत सरकार के आरक्षण मानदंडों/दिशा-निर्देशों के अनुसार नियुक्ति के लिए आवश्यक कार्रवाई करता है। आज की तारीख में उनके सापेक्ष 21 पद भरे हुए हैं।

(ग): सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी समय-समय पर आवश्यकता अनुसार संविदा आधार पर नियुक्त किए जाते हैं।
वर्तमान में**,** ऐसे 9 व्यक्ति मंत्रालय में कार्यरत हैं।

*****